


सं0-3/4/2013-एस.डी./ए.एम.  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र  
सूत्रधारा विभाग

दिनांक 13 जून, 2013

परिपत्र

यह देखने में आया है कि कुछ कर्मचारी विभिन्न सेवा संबंधी मामलों के बारे में अपने अभ्यावेदन/अनुरोध उचित माध्यम से न भेजकर सीधे ही उच्च प्राधिकारियों/स्थापना अनुभाग को भेज रहे हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा संबंधी अधिकारों/शर्तों से संबंधित किसी मामले के लिए जब कोई कर्मचारी अनुरोध करना चाहे या अपनी शिकायतों का निवारण चाहे तो उसे अपने अनुरोधों/अभ्यावेदनों को अनिवार्य रूप से उचित माध्यम से भेजना होता है ताकि संबंधित प्रभाग/एकक के प्रभारी अधिकारी यह जान सकें कि उक्त मामला उच्च अधिकारी/स्थापना को भेजा जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रभागों/एककों में कार्यरत सभी कर्मचारियों से यह अनुरोध है कि वे अपने सेवा संबंधी मामलों के बारे में अपना अभ्यावेदन/ अनुरोध सम्बन्धित प्रभागों/एककों के प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से भेजें।

कृपया इस परिपत्र में उल्लिखित बातें सम्बन्धित प्रभागों/एककों में कार्यरत सभी संबंधित कर्मचारियों की जानकारी में भी लाया जाए।

  
(के.सी.पाण्डेय)  
अवर सचिव (प्रशा.)

प्रतिलिपि-

1. सदस्य सचिव के वरिष्ठ निजी सहायक
2. संयुक्त सचिव के वरिष्ठ निजी सहायक
3. सभी विभागाध्यक्षों/एककों को